

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय, गुरावड़ा (रेवाड़ी)

नोटिस

दिनांक : 10/10/2025

महाविद्यालय की सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित एवं हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 के अधीन आने वाली 04 सेवाएं उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा के अंतर्गत आने वाली हरियाणा राज्य की सभी State Universities के द्वारा Auto Appeal System (AAS) Portal पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। छात्राएं सरल पोर्टल के माध्यम से भी इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकती हैं। उपरोक्त सेवाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

Sr. No.	Name of Department	Name of Service	Given Time Limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1.	Higher Education	Migration Certificate	07 days	Assistant Registrar	Registrar	Vice Chancellor
2.	Higher Education	Issuance of Provision Degree	05 days	Controller of Examination	Registrar	Vice Chancellor
3.	Higher Education	Issuance of DMC if not received by student within 30 days from declaration of result	10 days	Controller of Examination	Registrar	Vice Chancellor
4.	Higher Education	Issuance of Original Degree if not received by student within 180 days from the declaration of result	10 days	Controller of Examination	Registrar	Vice Chancellor

hmr

hmr
10/10/25
P. प्राचार्य
Govt. College of Women
Gurawara (Rewari)
रेवाड़ी।



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119-2024/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 6, 2024 (SRAVANA 15, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)
अधिसूचना
दिनांक 6 अगस्त, 2024

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा की निम्नलिखित सेवाएं, संगत सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	उच्चतर शिक्षा विभाग	प्रवासन प्रमाण पत्र	07 दिन	सहायक कुलसचिव	कुलसचिव	कुलपति
2	उच्चतर शिक्षा विभाग	अनन्तिम डिग्री जारी करना	05 दिन	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति
3	उच्चतर शिक्षा विभाग	परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर छात्र द्वारा प्राप्त नहीं होने पर विस्तृत अंक प्रमाण पत्र जारी करना	10 दिन	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति
4	उच्चतर शिक्षा विभाग	परिणाम घोषित होने के 180 दिन के भीतर छात्र द्वारा प्राप्त नहीं होने पर मूल डिग्री जारी करना	10 दिन	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति

टी०वी०एस०एन० प्रसाद,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।